विधानसभा/ अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकःप0 30(7)मं.म/2022 जयपुर, दिनांक 17.11.2022

परिपत्र

विषयः– सदन की मेज पर रखवाये जाने वाले राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक लेखा प्रतिवेदनों/वार्षिक प्रतिवेदनों/अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदनों को ऑनलाईन करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक बजट सत्र में राज्य सरकार के सभी विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रगति विवरणों की 25 प्रतियाँ मय "न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल (श्वेत–श्याम) में PDF फाईल तैयार कर पैन ड्राईव में" राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवायी जाती है।

किन्तु कतिपय विभागों द्वारा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रगति विवरणों की PDF फाईल कलर में अथवा स्केन की गई प्रतियाँ पैन ड्राईव में उपलब्ध करायी जाती है। जिस कारण PDF फाईल को वेब किए जाने में अधिक जगह स्टोरेज होती है तथा PDF फाईल की प्रिटिंग भी निम्न स्तर की होती है साथ ही PDF फाईल की साईज भी अधिक होने के कारण माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रति डाउनलोड़ करने में समय अधिक लगता है।

विधान सभा सचिवालय में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट, हेल्प डेस्क के कार्यों की समीक्षा किए जाने के संबंध में दिनांक 11.10.2022 को सचिव, राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के सभी विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रगति विवरणों की मूल फाईल (Soft Copy) को ही "न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल (श्वेत–श्याम) में PDF फाईल तैयार कर पैन ड्राईव में" (पूर्व की भांति मय 25 प्रतियां मैन्युअली) विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण से अनुरोध है कि कृपया अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों

क्रमशः..........2

के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रगति विवरणों/अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखवाये जाने हेतु आगामी बजट सत्र से ही प्रतिवेदनों की मूल फाईल (Soft Copy) को ही "न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल (श्वेत–श्याम) में PDF फाईल तैयार कर पैन ड्राईव में" (पूर्व की भांति मय 25 प्रतियां मैन्युअली) राजस्थान विधानसभा सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(गजानन्द शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधानसभा को उनके पत्रांक एफ. 1(7)(3)(i)साशा/विस/2019/30123 दिनांक 03.11.2022 एवं पत्रांक एफ. 33(16)सदन/विस/2019–2022/30790 दिनांक 14.11.2022 के कम में।

शासन सहायक सचिव